OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in ☎9893076404

MP Higher Education Scholar Ship Scheme

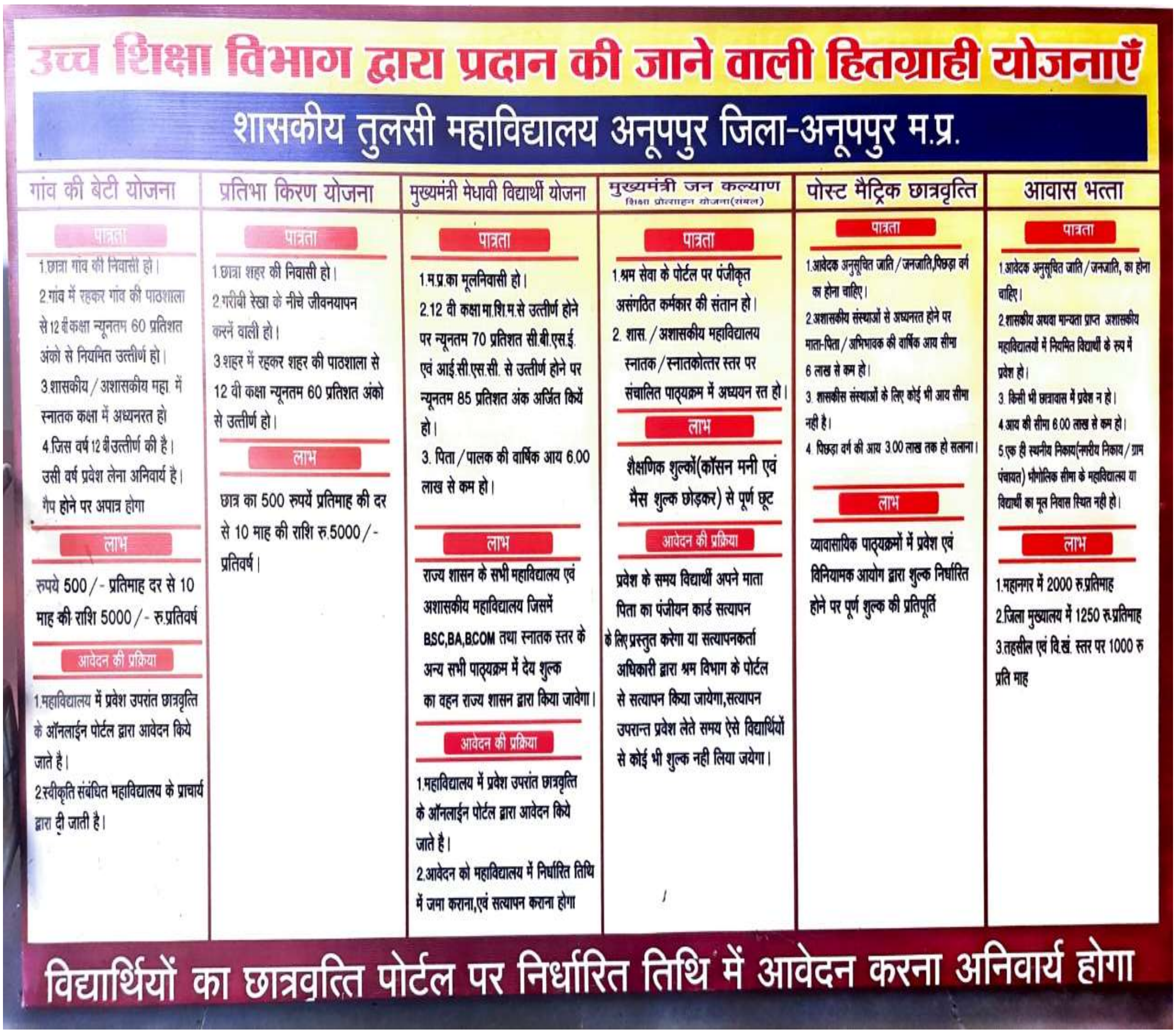

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

Information about beneficiary schemes for students studying in institutions run under the Higher Education Department.

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु हितग्राही योजनाओं की जानकारी

स. क्र.	योजना के नोडल विभाग का नाम	योजना का नाम	आवेदक की पात्रता	लाभ / राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
1	उच्च शिक्षा विभाग	गाँव की बेटी	• छात्रा गाँव की निवासी हो। • गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। • शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।	रूपये 500 / – प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000 / – प्रतिवर्ष	• निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं। • स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है। • स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है। • यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।
2	उच्च शिक्षा विभाग	प्रतिभा किरण	• छात्रा शहर की निवासी हो। • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली हो। • शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो। • शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।	रूपये 500 / – प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000 / –प्रतिवर्ष	• निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं। • स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है। • स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है। • यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।

01

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

योजना के नोडल विभाग का नाम	योजना का नाम	आवेदक की पात्रता	लाभ / राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
अनुसूचित जाति विकास विभाग	आवास भत्ता सहायता योजना	• आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। • शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश हो। • किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश न हो । • विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष है। • एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित नहीं हो।	• भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में रू. 2000 / – प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह • जिला मुख्यालयों पर रू. 1250 / – प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह • तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर रू. 1000 / – प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह	• पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। • स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है। • शासकीय संस्थाओ के प्राचार्य अपनी संस्था के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। अशासकीय संस्था हेतु शासकीय संस्था के प्राचार्य संबंद्ध अशासकीय संस्थाओ के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। • निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि का वहन विद्यार्थी द्वारा स्वयं करना होगा। • अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र हो जायेंगे।

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in ☎9893076404

सं. क्र.	योजना के नोडल विभाग का नाम	योजना का नाम	आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
13	तकनीकी शिक्षा विभाग	मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	• मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। • 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत एवं सीबीएसई/आईसीएससी से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों। • पिता/पालक की वार्षिक आय रू. 6.00 लाख से कम हो।	राज्य शासन के सभी महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय जिनमें बी. एससी , बी.ए. बी.कॉम, तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।	• पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। • प्रवेश निःशुल्क होगा।
14	अनुसूचित जाति विकास विभाग	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	• आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। • माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू. 3.00 लाख से कम हो।	• रूपये 2.50 लाख की आय सीमा तक पाठयक्रमों के अनिवार्य शुल्क की एवं रूपये 2.50 लाख से रूपये 3.00 लाख आय सीमा तक के विद्यार्थियों को अनिवार्य शुल्कों के आधे शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। • स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रतिमाह निर्वाह भत्ता– गैर छात्रावासी–रू 300/– छात्रावासी–रूपये 570/–	• पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। • स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

<table>
<tr><th></th><th>योजना के नोडल विभाग का नाम</th><th>योजना का नाम</th><th>आवेदक की पात्रता</th><th>लाभ / राशि</th><th>आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td>उच्च शिक्षा विभाग</td><td>एकीकृत छात्रवृत्ति योजनाएं</td><td>

संबंधित कक्षा में किसी शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हो।
माता–पिता / अभिभावकों की पारिवारिक वार्षिक आय राशि रू 54000 / – से अधिक न हो।
अन्य अर्हता–

पी.एच–डी: स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंक
स्नातकोत्तर: स्नातक में 55 प्रतिशत अंक
खेलकूद: मध्यप्रदेश की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल के सदस्य हों, अथवा प्रदेश की व्यस्क टीम के सदस्य हों अथवा प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रहे हों
स्नातक (योग्यता): माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक
स्नातक (योग्यता सह साधन): माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक।

</td><td>
<table>
<tr><th>छात्रवृत्ति का प्रकार</th><th>राशि प्रतिमाह (रूपये में)</th><th>कोटा</th></tr>
<tr><td>पी.एच.डी.</td><td>600 / –</td><td>18</td></tr>
<tr><td>एम.फिल.</td><td>500 / –</td><td>14</td></tr>
<tr><td>स्नातकोत्तर (केवल योग्यता आधारित)</td><td>500 / –</td><td>73</td></tr>
<tr><td>स्नातकोत्तर (योग्यता सह साधन आधारित)</td><td>500 / –</td><td>73</td></tr>
<tr><td>खेलकूंद</td><td>300 / –</td><td>22</td></tr>
<tr><td>स्नातक (केवल योग्यता आधारित)</td><td>300 / –</td><td>146</td></tr>
<tr><td>स्नातक (योग्यता सह साधन आधारित)</td><td>300 / –</td><td>146</td></tr>
</table>
</td><td>

उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है।
प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है।
आयुक्त, उच्च शिक्षा की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।
छात्रवृत्ति 10 माह के लिये प्रदान की जाती है।

</td></tr>
</table>

MP HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP POLICY-

https://highereducation.mp.gov.in/?page=ZnGWU%2BxYVl5%2BNBOUmwU4dg%3D%3D

COLLEGE WEBSITE PAGE FOR SCHOLARSHIP-

https://gtcanuppur.ac.in/College.aspx?PageName=Scholarship

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)